



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27012022-232928
CG-DL-E-27012022-232928

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 349]
No. 349]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 27, 2022/माघ 7, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 27, 2022/ MAGHA 7, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2022

का.आ. 357(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा “पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत नियामक आयोग” कोलकाता (पैन-AAAGW0011J) को, जो कि पश्चिम बंगाल, की राज्य सरकार द्वारा स्थापित एक आयोग है को उस आयोग को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, नामतः:-

- (क) पश्चिम बंगाल विद्युत नियामक आयोग (निधि के आवेदन का तरीका) नियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार निधि अनुरक्षण से आय; और
- (ख) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अधिसूचित पश्चिम बंगाल विद्युत (लाइसेंस प्रदान के लिए आवेदन शुल्क) नियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार एकत्रित शुल्क से आय।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत नियामक आयोग, कोलकाता -

- (क) किसी व्यावसायिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा;
- (ख) वित्तीय वर्षों के दौरान गतिविधि तथा निर्दिष्ट आय की प्रकृति अपरिवर्तित रहेंगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) खण्ड (छ) के प्रावधान के अनुसार आयकर विवरणी दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्षों 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 तथा 2025-2026 के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 11/2022/फा. सं. 300196/1/2022 -आईटीए-1]

सौरभ जैन, अवर सचिव